न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार **बनाम** चन्दन कंवर पत्नी औंकारसिंह रतनकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत कुचामनसिटी

प्रा.पत्र नम्बर 228/2020 **GCMS No.2020/00335**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.03.2023	अप्रार्थी रतनकंवर पत्नी राजेन्द्रसिंह राजपूत कुचामनसिटी के द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम खारिया के खसरा नम्बर 726 रकबा 40.56 हैक्टर अप्रार्थी के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है जिसको कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दर्ज होकर अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनॉक 06.10.2020 को एक–पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त भूमि में सहखातेदारान के मध्य आपसी बंटवारा नही हो रखा है, स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अप्रार्थी व सहखातेदारान बंटवारा नही करवा पा रहे है, जिससे अप्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का अलग बंटवारा नही करवा सकी एवं अकृषि प्रयोजन हेतु भूमि रूपान्तरण भी नही हो पा रहा है, अतः स्थगन की कार्यवाही अपास्त फरमाई जावें जिससे वादग्रस्त भूमि का विधिक बंटवारा करवाकर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रूपान्तरित की जा सके तथा वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी यथाशीघ्र रूपान्तरण करवा लेगी व रूपान्तरण करवाने से पूर्व हक हिस्से की भूमि को किसी भी अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नही लेगी। इसलिए स्थगन आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, प्रश्नगत भूमि ग्राम खारिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 726 भूमि को विधिक बंटवारा करवाकर सक्षम अधिकारी के यहॉ से रूपान्तरण करवा लेगी। अप्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनॉक 06.10.2022 खारिज की जाती है तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Manoj Date: 2023.07.27 13:08:07 IST Reason: SelfAttested	